

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

दालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायल ..... मुकाम.....

बनाम.....

उग राम

लाधाराम पट्टे

किस्म मुकदमा..... नं. 348/15 सन 2019

राजस्थान

348/15

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/12/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>लाधाराम पट्टे</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128</p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>13/01/2020</u> को पेश हो।</p> <p><u>लाधाराम पट्टे</u></p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायल</p>	
13/01/2020	<p><u>प्रार्थी</u> <u>वादी</u> <u>अपीलांत</u> <u>के</u> <u>वकील</u> <u>श्री</u> <u>लाधाराम</u> <u>पट्टे</u></p> <p><u>ने</u> <u>यह</u> <u>प्रार्थना</u> <u>पत्र</u> <u>वादा</u> <u>अपील</u> <u>धारा</u> <u>111, 128</u></p> <p><u>राजस्थान</u> <u>कायदा</u> <u>कारी</u> <u>भू-राजस्व</u> <u>अधिनियम</u> <u>के</u> <u>अन्तर्गत</u> <u>पेश</u> <u>किया</u> <u>है।</u></p> <p><u>जो</u> <u>दर्ज</u> <u>रजिस्टर</u> <u>हो।</u> <u>विप्रार्थी</u> <u>प्रतिवादी</u> <u>रेस्पोंडेंट</u> <u>जरिये</u> <u>नोटिस</u> <u>सम्पन</u></p> <p><u>तलब</u> <u>होकर</u> <u>पत्रावली</u> <u>वास्ते</u> <u>जवाब</u> <u>दिनांक</u> <u>13/01/2020</u> <u>को</u> <u>पेश</u> <u>हो।</u></p> <p><u>लाधाराम पट्टे</u></p> <p><u>सहायक कलेक्टर (SDO)</u> <u>बायल</u></p>	



11/02/2020

11/02/2020/13  
प्राथमिक

उपचाराम पुत्र रूपाराम जाति  
निवासी पानादेवडा खण्ड

प्राथमिक बहिन रूप / विवाहयोगी के  
 घर में जाते बाबूबाई की लीजें गले गिना  
 कीक एक माह से भी अधिक समय हो गया है  
 विवाहयोगी की आटे से जेई अधिकता प्रात्येक  
 ऊठपासिते वरुके से एकलका कार्यावाही नमाल  
 से लाई जाती है / प्राथमिक बहिन की एक पक्षीस  
 खडा सूनी लका प्राथमिक बहिन ने बताया कि प्राथमिक  
 विवाहयोगी की आलेगी छेला सेरा-सेरा आके हुए  
 है लका प्राथमिक विवाहयोगी के जेलां के हीन्य कनी  
 पुलाकी माके व कनें आँधीयो में बिष्वा जाते है लका  
 जेलां पहां के हीन्य कर्षात में सेरा व कलका  
 काशत में बिष्वा हो जाता है लका अपने सेरा  
 की सीपाको का सही ज्ञान नहीं हो पाता है इस  
 लीजें प्राथमिक अपने जेलां की पक्की वेधपकरी कलाग  
 आवरणक है प्राथमिक का भाकेत वेधपकरी का सीका  
 का वेधपकरी के आरेखा सिमा मके।

अतः प्राथमिक के अधिकता के

विशेस पर प्राथमिक को प्राथमिक - या सीका  
 सिमा मके लक्ष्मीलडा गेडे का कारिखल व  
 अ. क. विगीतक का सहायक शक्तिवत विमुक्त  
 सिमा जाता हो लका आरेखा सिमा जाता है  
 कि प्राथमिक के जेला की पक्की वेधपकरी मके  
 पर मुक्त जमा कलाक दे, पालग डिफोर्ट  
 प्राथमिक लके पर सामिल सिमा ल, पजावनी  
 जेसल सुभा ल, उरु नमक से कन हो, आरिख  
 उपल ल।

11.2.2020

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/20.20/13

दिनांक:- 11/02/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

उगराराम पुत्र रूपाराम जाति जाट  
निवासी पानादेवड़ा खारापार

लाधाराम पुत्र रूपाराम वगैरा  
निवासी पानादेवड़ा खारापार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 348/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पानादेवड़ा पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 115/25, 57/32, 117/25 रकबा कमशः 33.05, 23.00, 14.12 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।


  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 11/02/2020

क्रमांक/वाद/20.20/14 to 18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री उगराराम पुत्र रूपाराम
4. विप्रार्थीगण लाधाराम पुत्र रूपाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

  
11.2.2020  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु